

फैक्स/मा० उच्च न्यायालय प्रदर्शन/शिक्षाविषय

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

1-तिलक मार्ग लखनऊ।

परिपत्र संख्या-५३ /2015

दिनांक:लखनऊ:मई ८ ,2015

सेवा मे,

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

विषय:-उ०प्र० चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) अधिनियम,2013 में प्रावधानित व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

आप सभी अवगत हैं कि प्रदेश में चिकित्सा सेवा कर्मियों के जीवन को क्षति या खतरा या चिकित्सा सेवा संस्थाओं की सम्पत्ति को हानि पहुंचाने की घटना पर प्रभावी नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शासन के चिकित्सा विभाग द्वारा “चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था” (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) अधिनियम 2013 दिनांक 26.09.2013 को प्रख्यापित कर दिया गया है। इस अधिनियम के लागू हो जाने के पश्चात् भी प्रदेश में चिकित्सा सेवा कर्मियों के जीवन को क्षति या खतरा तथा चिकित्सा सेवा संस्थान की सम्पत्ति को हानि पहुंचाने वाले हिंसात्मक कृत्य अभी भी हो रहे हैं, जिससे प्रदेश में चिकित्सा परिचर्या व्यवसायियों में असंतोष एवं भय व्याप्त है तथा साथ ही चिकित्सा जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण सेवायें बाधित होने से रोगियों एवं जनता को असुविधा भी हो रही है।

2- इस अधिनियम की धारा 4 में चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मियों के विरुद्ध हिंसा एवं सम्पत्ति की क्षति को कारित किये जाने को संज्ञेय एवं गैरजमानतीं अपराध बनाया गया है। यद्यपि मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन लखनऊ द्वारा इस अधिनियम की धारा 3 व 4 अद्वितीय कर आप सभी को दिनोंक 6-5-2015 को अपने पत्र संख्या-1222पी/छ-पु-3-2015-21पी/2015 द्वारा प्रेषित की गयी है फिर भी उपर्युक्त अधिनियम की प्रति एवं पैम्पलेट की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि आप इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करायें तथा अपने अधीनस्थ अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को इस अधिनियम/पैम्पलेट की प्रतियों कराकर उपलब्ध करायें और इन्हें इस अधिनियम के प्राविधानों की विस्तृत जानकारी दें, जिससे इस प्रकार के अपराध की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही हो सके।



संलग्नक-यथोपरि।

(अरविन्द कुमार जैन)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त परिषेकीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

NOTICE TO BE DISPLAYED IN CLINICS/ HOSPITALS



IMPORTANT

Notice for Patients & their Relatives

As per the introduced The Uttar Pradesh Medicare Service Persons and Medicare Service institutions (Prevention of Violence and Damage to Property) Act, 2013:

Section 3

Whoever,- (a) commits an act of violence against a Medicare Service Person; or

(b) causes any damage to the property of any Medicare Service Institution;

shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine which may extend to fifty thousand rupees or with both.

Section 4

An offence punishable under section 3 shall be **cognizable and non-bailable**.

Section 5

(1) In addition to the punishment provided under section 3, the court shall, when passing judgment, order that the accused person shall be liable to a penalty of twice the amount of purchase price of medical equipment damaged and loss caused to the property of the Medicare Service Institution.

(2) Where the order of compensation made under sub-section(1) is not paid, the same shall be recovered under the provisions of the U.P. Land Revenue Act, 1950 from the accused person as if it were an arrear of land revenue.

Hence, you are requested to maintain silence and decorum inside any Hospital Premises.

Issued in Public interest.

संख्या:-1222पी/छ:-पु-3-2015-21पी/2015

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त जिला मैजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।

(2) समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

गृह(पुनिस) अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 06 मई, 2015

विषय:- उ०प्र० चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) अधिनियम, 2013 में प्रावधानित व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

SBO
14/05/2015
महोदय,

आप अवगत हैं कि प्रदेश में चिकित्सा सेवा कर्मियों के जीवन को धनि या खतरा तथा चिकित्सा सेवा संस्थाओं की सम्पत्ति को हानि पहुंचाने वाले हिंसात्मक कृत्य हो रहे हैं, जिससे उत्तर प्रदेश में चिकित्सा परिचर्या व्यवसायियों में असंतोष उत्पन्न हो रहा है और ऐसी सेवायें गम्भीर रूप से धार्थित हो रही हैं। इस प्रकार की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से चिकित्सा विभाग द्वारा उ०प्र० चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) अधिनियम-2013, दिनांक 26.09.2013 को तिर्फत किया गया है, जिसकी धारा 4 में इस प्रकार के अपराधों को संज्ञय एवं गैरजमानती माना गया है। अधिनियम में व्यवस्था होने के उपरान्त भी इस प्रकार की घटनायें हो रही हैं जिन्हें प्रभावी रूप से रोकना आवश्यक है।

*DUP
7-5-15*
2- अधिनियम की धारा 3 तथा 4 की व्यवस्था उद्धरित की जा रही है:-

धारा 3- चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी के विरुद्ध हिंसा और सम्पत्ति की क्षति - कोई भी जो-

(क) किसी चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी के विरुद्ध हिंसात्मक कृत्य करें; या

(ख) चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्थान की सम्पत्ति को क्षति पहुंचाये, ऐसे अपराध के लिये, कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी या जुमानि से, जो पचास हजार रु० तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा।

- 2 -

धारा-4 अपराध का संज्ञान- धारा 3 के अधीन दण्डनीय अपराध संज्य एवं गैरजमाननी होगा।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सकान स्तर से चिकित्सा में वा कर्मियों को झति और खतरा तथा चिकित्सा रोदा संस्थाओं की सम्पत्ति को हानि पहुंचाने की सूचना प्राप्त होते ही अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार प्रभावी कार्यवाही तत्काल मुनिन्नित की जाय।

भवदीप,

M.R. (L)

(लालो कर्जन)

मुख्य सचिव।

संघरा एवं तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ।
- 2- प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- समस्त पण्डलायुक्त, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- 5- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- 6- गार्ड फाइल

आजः म.

Dated 5.5.1972
(कस्तु मंत्रसंता)
सचिव।

प्रेषकः

मधु जोशी,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
उ०प्र०, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-२

लखनऊ : दिनांक २। अक्टूबर, २०१३

विषयः—उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था(हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) अधिनियम, २०१३ (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं०-१६ सन् २०१३) के परिचालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि उ०प्र० चिकित्सा स्वास्थ्य संवर्ग में कार्यरत चिकित्सकों, पैरामेडिकल कर्मियों एवं अन्य कर्मियों तथा चिकित्सा सेवा प्रदान करने वाले राजकीय चिकित्सालयों अथवा अन्य इकाईयों की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए "उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) अधिनियम, २०१३ (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं०-१६ सन् २०१३)" विधायी विभाग के आदेश संख्या-१०३२/७९-वि-१-१३-१(क)१०-२०१३, दिनांक २६.०९.१३ द्वारा प्रख्यापित कर दिया गया है।

२— "उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) अधिनियम, २०१३ (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं०-१६ सन् २०१३)" की हिन्दी एवं अंग्रेजी की पांच-पांच प्रतियां संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त प्रख्यापित अध्यादेश की प्रति प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/मुख्य चिकित्साधिकारी/प्रमुख अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका व अन्य जो अधिनियम से संबंधित हों, को अपने स्तर से परिचालित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त


भवदीया,

(मधु जोशी)
संयुक्त सचिव।

संख्या : ३४७२(१) / सेक-२-पांच-१३, तददिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- १— महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ।
- २— निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ०प्र० लखनऊ।
- ३— प्रभारी, कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त अधिनियम को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से

(डॉ जिटाशंकर सिंहपाटी)
अनुसंचित।



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—१, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 26 सितम्बर, 2013

आश्विन 4, 1936 शक समवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—१

संख्या 1032/79-वि-1-13-1(क) 10-2013

लखनऊ, 26 सितम्बर, 2013

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल गहोदध ने उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) विधेयक, 2013 पर दिनांक 24 सितम्बर, 2013 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 2013 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था

(हिसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) अधिनियम, 2013

(उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 16 रान् 2013)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान भण्डल द्वारा पारित हुआ]

चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी के प्रति हिसा और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्थाओं की सम्पत्ति की क्षति के निवारण एवं उससे संबंधित या उसके आनुयायिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

चूंकि राज्य में चिकित्सा सेवा कर्मियों के जीवन को दाति और खतरा तथा चिकित्सा सेवा संस्थाओं की सम्पत्ति को हानि पहुँचाने वाले हिसात्मक कृत्य हो रहे हैं जिससे चिकित्सा परिचर्या व्यवसायियों में असंतोष ऐदा हो रहा है और परिणामतः राज्य में ऐसी सेवायें गंभीर रूप से बाधित हो रही हैं;

और चूंकि उत्तर प्रदेश राज्य में ऐसे हिंसक कृत्यों को संज्ञेय और गैर जगान्ती अपराध बनाते हुए उन्हें रोकना आवश्यक हो गया है;

भारत मणिराज्य के चौसठवें वर्ष में निनलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

1— (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) अधिनियम, 2013 कहा जायेगा।

(2) यह 20 मई, 2013 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषा

2-जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, तब अधिकृत न हो,

(क) "चिकित्सा परिचर्या सेवा" का तात्पर्य, जिसु जन्म से संबंधित प्रसवपूर्व और प्रसवोपरान्त देखभाल या उससे संबंधित कोई भी बात, या किसी बीमारी, बोट या अंग शैश्वल्य, चाहे शारीरिक हो या मानसिक, या ग्रस्त व्यक्तियों को किसी भी रूप में परिचर्या एवं देखरेख को समिलित करते हुए चिकित्सीय उपचार और देखभाल उपलब्ध कराने के कृत्य से है;

(ख) "चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्थान" का तात्पर्य गेडिकल कालेज, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में किसी चिकित्सालय, याहे जिस भी नाम से पुकारा जाय, या लोगों को चिकित्सा परिचर्या सेवा उपलब्ध कराने वाली ऐसी अन्य संस्थाओं से है, जो राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी निजी चिकित्सालय/नसिंग होम, क्लीनिक और प्रसूति केन्द्र द्वारा स्थापित और प्रबन्धित हो या नियन्त्रणाधीन हो और उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से पंजीकृत हो;

(ग) चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्थान के संबंध में "चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी" का तात्पर्य अनन्तिम पंजीकरण धारक को समिलित करते हुए किसी पंजीकृत चिकित्सक, पंजीकृत नर्स, चिकित्सा विद्यार्थी, नसिंग विद्यार्थी और अर्द्ध चिकित्सीय कर्मकार से है और इसमें ऐसी संस्था में नियोजित और कार्यरत कोई व्यक्ति भी समिलित है;

(घ) "हिंसा" का तात्पर्य ऐसे क्रिया कलायों से है जो चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था में या उसके बाहर कर्तव्य का निर्वहन करने वाले किसी भी चिकित्सा परिचर्या कर्मी को कोई हानि पहुँचाने, क्षति पहुँचाने या उसके जीवन को संकटापन करने या उसको अभित्रास, अपराध या बाधा पहुँचाने वाले हों;

(ड) "सम्पत्ति" का तात्पर्य किसी सम्पत्ति, स्थावर हो या जंगल, चिकित्सा उपस्कर या चिकित्सा यन्त्र सामग्री से है जो किसी चिकित्सा सेवा कर्मी या चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्थान के नियंत्रण में हो;

(च) "आपात चिकित्सा परिवहन सेवा" का तात्पर्य सभी सचल चिकित्सा इकाइयों एवं चिकित्सा उपस्करों से युक्त चिकित्सा वाहन से है, जिसका उपयोग चिकित्सा सुविधाये उपलब्ध कराने में किया जाय।

3-कोई भी जो,-

(क) किसी चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी के विरुद्ध हिंसात्मक कृत्य करे; या

(ख) चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्थान की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाए, ऐसे अपराध के लिए, कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती या जुर्माने से, जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा।

4-धारा 3 के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय एवं तैर जमानती होगा।

5-(1) धारा 3 के अधीन उपबन्धित दण्ड के अतिरिक्त न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय यह आदेश दिया जायेगा कि आरोपित व्यक्ति क्षतिग्रस्त चिकित्सीय उपस्कर के क्रम मूल्य की धनराशि और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था की सम्पत्ति को हुई हानि के दोगुने की शारित के लिए दायी होगा।

(2) यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा उपधारा (1) के अधीन शास्त्रिक क्षतिपूर्ति का संदाय नहीं किया जाता है, तो उसकी वसूली उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1950 की बकाया के रूप में की जायेगी।

6-इस अधिनियम के उपबन्ध तत्त्वमय प्रवृत्ति किसी भी अन्य विधि के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में।

7-(1) यह उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा निरसन एवं परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) अध्यादेश, 2013 अपवाद एतदद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान् समय पर प्रवृत्त थे।

चिकित्सा परिचर्या
सेवा कर्मी के विरुद्ध
हिंसा और सम्पत्ति
की क्षति

अपराध का संज्ञान
सम्पत्ति को पहुँचाई
गयी क्षति की
वसूली

अधिनियम का किसी
भी अन्य विधि के
अल्पीकरण में न होना
उत्तर प्रदेश
अध्यादेश संख्या 6,
सन् 2013

उद्देश्य और कारण

राज्य सरकार के संवृत्ति में यह नाम जारी गयी थी कि राज्य ने विनियोग तोना कार्यों पर ध्यान का क्षमिता या खतरा तथा चिकित्सा सेवा संस्थाओं की सम्पत्ति को हानि पहुँचाने वाले हिंसात्मक कृत्य हो रहे हैं, जिससे राज्य में चिकित्सा परिचर्या व्यवसायियों में असंतोष उत्पन्न हो रहा है और परिणामतः राज्य में ऐसी सेवायें गम्भीर रूप से बाधित हो रही हैं। ऐसे हिंसात्मक कृत्यों को उत्तर प्रदेश राज्य में रोकने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया कि एक कानून बनाकर यह प्रावधान किया जाय कि चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था में कार्यरत पंजीकृत चिकित्सक, जिसके अन्तर्गत अनन्तिम पंजीकरण धारक, पंजीकृत नर्स, चिकित्सा शिक्षा विद्यार्थी, नर्सिंग विद्यार्थी और अर्द्ध चिकित्सीय कर्मकार और ऐसी संस्था में नियोजित एवं कार्यरत कोई व्यक्ति भी है, के विरुद्ध हिंसात्मक कार्यवाही करना तथा चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाया जाना संज्ञेय एवं गैर जैमानती अपराध होगा और दोषी व्यक्ति कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती या जुर्माने से, जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा और यह कि उक्त दण्ड के अतिरिक्त, आरोपित व्यक्ति क्षतिग्रस्त चिकित्सीय उपस्कर के क्रय मूल्य की धनराशि और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्थान की सम्पत्ति को हुई हानि के दो गुने की शास्ति का दायी होगा।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उक्त विनिश्चय को कार्यान्वयित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 20 मई, 2013 को उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) अध्यादेश, 2013 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6, सन् 2013) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
एस० के० पाण्डेय,
प्रमुख सचिव।

No. 1032(2)/LXXIX-V-1-13-1(Ka)10-2013

Dated Lucknow, September 26, 2013

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Chikitsa Paricharya Seva Karmi Aur Chikitsa Paricharya Sevs Sanstha (Hinsa Aur Sampatti Ki Dhatni Ka Niwaran) Adhiniyam, 2013 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 16 of 2013) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 24, 2013 :—

THE UTTAR PRADESH MEDICARE SERVICE PERSONS AND MEDICARE SERVICE INSTITUTIONS (PREVENTION OF VIOLENCE AND DAMAGE TO

PROPERTY) ACT, 2013

[U.P. ACT NO. 16 OF 2013]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to prevent violence against medicare service persons and damage to property of medicare service institutions and for matters connected therewith and incidental thereto.

WHEREAS acts of violence causing injury or danger to life of Medical Service Persons and damage to property of Medicare Service Institutions are rampant in the State causing unrest in medicare professionals resulting in serious hindrance in such services in the State;

AND WHEREAS it has become necessary to prevent such violent activities in the State of Uttar Pradesh by making it as a cognizable and non-bailable offence.

It IS HEREBY enacted in the sixty-fourth Year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Medicare Service Persons and Medicare Service Institutions (Prevention of Violence and Damage to Property) Short title and commencement
Act, 2013.

(2) It shall be deemed to have come into force on May 20, 2013.

Definitions

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Medicare Service" means the act of providing medical treatment and care including antenatal and postnatal care in connection with child birth or anything connected therewith, or nursing care in any form to persons suffering from sickness, injury or infirmities whether of body or mind;

(b) "Medicare Service Institutions" means a medical college, a hospital, a Community Health Centre, Primary Health Centre, Health Centre by whatever name called or such other institutions providing Medicare Service to the people, which is established and managed by, or under the control of, the State Government or the Central Government or any local authority or any private Hospital/Nursing Home, Clinic and Maternity Centre registered with Uttar Pradesh Medical and Health Department;

(c) "Medicare Service person" in relation to a Medicare Service Institution means a registered Medical Practitioner including provisional registration holder, a registered Nurse, a Medical Student, a Nursing Student and a Para-medical worker and includes any person employed and working in such institution;

(d) "Violence" means such activities as are causing any harm, injury or endangering the life or intimidation, obstruction or hindrance to any Medicare Service person in discharge of duty in or outside a Medicare Service Institution;

(e) "Property" means any property, movable or immovable or medical equipment or medical machinery owned by or in possession of, or under the control of any Medicare Service person or Medicare Service Institution;

(f) "Emergency Medical Transport Service" means all mobile medical units or medical ambulances equipped with medical equipment, used for providing Medicare Services.

3. Whoever,—

(a) commits an act of violence against a Medicare Service person; or

(b) causes any damage to the property of any Medicare Service Institution;

shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine which may extend to fifty thousand rupees or with both.

4. An offence punishable under section 3 shall be cognizable and non-bailable.

5. (1) In addition to the punishment provided under section 3, the court shall, when passing judgment, order that the accused person shall be liable to a penalty of twice the amount of purchase price of medical equipment damaged and loss caused to the property of the Medicare Service Institution.

(2) Where the order of compensation made under sub-section (1) is not paid, the same shall be recovered under the provisions of the U.P. Land Revenue Act, 1950 from the accused person as if it were an arrear of land revenue.

6. The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force.

7. (1) The Uttar Pradesh Medicare Service Persons and Medicare Service Institutions (Prevention of Violence and Damage to Property) Ordinance, 2013 is hereby repealed.

U.P.
Ordinance
no. 6 of 2013

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

Violence against Medicare Service person and damage to property**Cognizability of offence****Recovery of loss for damage to the property****Act not in derogation of any other law****Repeal and saving**

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

It had been brought to the notice of the State Government that acts of violence causing injury or danger to the life of Medical Service persons and damage to the property of Medicare Service Institutions are rampant in the State causing unrest in medicare professionals resulting in serious hindrance on such services in the State. With a view to preventing such violent activities in the State of Uttar Pradesh it was decided to make a law to provide that the acts of violence against a registered medical practitioner working in a Medicare Service Institution including provisional registration holder, a registered Nurse, a Medical Student, a Nursing Student, a Para-medical Worker and any person employed and working in such Institution causing any damage to the property of any Medicare Service Institution shall be cognizable and non-bailable offence and the guilty person shall be liable to be punished with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine which may extend to fifty thousand rupees or with both and that the accused person shall be liable to pay a penalty of twice the amount of purchase price of medical equipment damaged and loss caused to the property of the Medicare Service Institution in addition to the said punishment.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision the Uttar Pradesh Medicare Service Persons and Medicare Service Institutions (Prevention of Violence and Damage to Property) Ordinance, 2013 (U.P. Ordinance no. 6 of 2013) was promulgated by the Governor on May 20, 2013.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
S. K. PANDEY,
Pramukh Sachiv.

पी०एच०य००८०-४४८ रजन०५(हि०) २८०३-९९६ /सिवा (हस्तकृत/टै०/आफरोट),
पी०एस०य००८०-४४८० ७९ सांविधायी-२०१३-(९९६)-५२० प्र०तेथा (नाम०८०८०/टै०/आफरोट)।